न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

135

प्रकरण क्रमांक : 3990–दो/2015 निगरानी – विरूद्ध– आदेश दिनांक 14–10–2015 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 18/2013–14 अपील

महिला भागो पत्नि स्व. किशनलाल
(मृतक वारिस)
1– हाकिम 2– मोतीलाल 3– महेश
4– दीना पुत्रगण स्व. किशनलाल
5– मालती नावालिक पुत्री स्व.किशनलाल
6– रामचरण पुत्र बल्लू जाटव
7– मुन्नी पुत्री बल्लू जाटव
8– मायाराम 9– परसादीलाल पुत्रगण श्यामा जाटव
सभी निवासी ग्राम सीहोर तहसील नरबर जिला शिवपुरी ——आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री राजीव शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 18–4–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 18/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–10–15 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय श्रीमती भागो पत्नि स्व. किशनलाल ने तहसीलदार करैरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम सीहोर स्थित भूमि सर्वे नंबर 4175 रकबा 1–2010 एंव 1825 रकबा 0.080 हैक्टर तथा 1826 रकबा 0.350 हैक्टर रहे हैं। यह सर्वे नंबर बंदोवस्त के पूर्व के है जो सर्वे नंबर 1679 रकबा 1–818 से निर्मित है सर्वे नंबर 1827/2 रकबा 0.18 है. भूलवश शासकीय अंकित कर दिया था जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रकरण कमांक 22/1999–2000 अ–5 चला था एंव आदेश दिनांक 25–9–2000 से

अभिलेख दुरूस्ती के आदेश हुये है परन्तु पटवारी अभिलेख में अमल नहीं कराया गया। आदेश दिनांक 25-9-2000 का अमल कराया जावे। तहसीलदार करैरा ने प्रकरण क्रमांक 57 बी 121/11-12 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-2-12 पारित करके स्वर्गीय श्रीमती भागो का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, करैरा ने प्रकरण क्रमांक 198/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-13 से अपील अस्वीकार कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 18/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–10–15 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मृत महिला भागो पत्नि स्व. किशनलाल ने अपने तहसीलदार करैरा को आवेदन दिनांक 19-9-11 प्रस्तुत कर मांग की है कि तत्कालीन तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 25-9-2000 के अनुसार शासकीय अभिलेख में दुरूस्ती की जावे। आवेदिका का यह आवेदन आदेश दिनांक 25-9-2000 के 11 वर्ष के अंतराल से है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दि. 14–10–15 में निकाले गये निष्कर्षो के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि -

> आवेदक/अपीलार्थी के व्दारा संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बंदोवस्त त्रृटि हेतु आवेदन दिनांक 7–6–2000 को प्रस्तुत किया गया है। तहसील न्यायालय व्दारा दिनांक 25–9–2000 को संशोधन के आदेश दिये गये हैं। म0प्र0राजपत्र दिनांक 18 अप्रेल 2003 के व्दारा संहिता की धारा 89 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियॉ तहसीलदार को प्रदान की गई है। तहसीलदार को वर्ष 2000 में धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी इसलिये तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2000 अधिकारिता रहित होकर शून्यवत् है।

स्पष्ट है कि जब तत्समय अर्थात वर्ष 2000 में धारा 89 के अंतर्गत तहसीलदार को बंदोवस्त त्रृटियों को सुधार करने के अधिकार नहीं थे, तत्का. तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 22/99-2000 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 25-9-2000 अधिकारितारहित होने से ऐसे आदेश का अमल संभव ही नहीं है जिसके कारण तहसीलदार करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 57 बी 121/11-12 में पारित आदेश दिनांक 25-2-12 एंव अनुविभागीय अधिकारी, करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 198/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-13 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 18/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-15 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 18/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–10–15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर